न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद सं0–03/2016–17

नागनारायण सिंह बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22-2-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद नागनारायण सिंह, पिता–स्व0 श्री राम चन्द्र सिंह, ग्राम–नूर मोहिउद्दीनपुर, थाना–परसा बाजार, जिला–पटना ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C. no.-12766/16 में दिनांक–16.09.2016 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 30.09.2016 को अतिक्रमण अपील आवेदन दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त वाद में दिनांक 16.09.2016 को पारित आदेश का अवतरण निम्नवत् है :– "Accordingly, I direct the Authorities concerned to supply certified copy of the order to the petitioner within one week from today and, thereafter, let the petitioner file an appeal within a period of thirty days thereafter. If appeal is filed within thirty days, let the same be considered and disposed of in accordance with law. The petitioner would be at liberty to raise the issue of grant of stay of the impugned notice, as contained in Annexure-6, in the appeal itself. However, operation of the same shall be kept in abeyance till 45 days from today. In the meantime, the petitioner would be a liberty to seek such stay order from the appellate authority itself. In such case, the appellate authority would proceed to decide this issue also on its own merit and in accordance with law without being prejudiced by the present order. It is made clear that this Court has not formed or expressed any opinion with regard to the merit of the case." दिनांक 03.11.2016 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वाद अधिग्रहण के बिन्दु पर सुनकर वाद को अधिग्रहित किया गया। साथ ही निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का अभिलेख दिनांक 23.02.2017 को प्राप्त हुआ। दिनांक 21.09.2017 को अन्तःक्षेपक (Intervenor) के आवेदन को स्वीकृत किया गया और दिनांक–22.02.2018 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अपीलकर्ता का कथन है कि :– 1. यह अतिक्रमण अपील वाद अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ के अतिक्रमण वाद सं0 $\frac{02}{6}$ /2014–15 में दिनांक 29.07.16 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया है। 2. प्रश्नगत भूमि मौजा–मोहिउद्दीनपुर, थाना–77, खाता–113, प्लौट 479, रकवा 773 वर्गफीट है। प्लौट सं0 479 रैयती भूमि है। इसलिये लोक अतिक्रमण अधिनियम चलाने लायक नहीं है। 3. अपीलकर्त्ता द्वारा निबंधित वसीका से क्रय किया गया है। प्रश्नगत भूमि का निबंधन दिनांक 15.05.2006 का है। प्रश्नगत भूमि के उतर में 04(चार) फीट का चौड़ा निजी रास्ता है। इसलिये अतिक्रमण का कोई प्रश्न नहीं उठता है।	

4. अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा अतिक्रमण संबंधी नोटिस के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 15.07.16 को प्रत्युत्तर अंचलाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद दूसरी बार भी कारण पृच्छा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया गया।
5. अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा बिना अपीलार्थी के पक्ष को सुने अंतिम आदेश पारित कर नोटिस निर्गत किया गया, जो दिनांक 29.07.2016 को प्राप्त हुआ। इस नोटिस में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिनांक 20.08.2016 के संदर्भ में तथ्य अंकित हैं।
6. अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ के दिनांक 20.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C no.-12766/16 नाग नारायण सिंह बनाम राज्य दाखिल किया, जिसमें दिनांक 16.09.2016 को अपील दायर करने का निर्देश दिया गया और अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

उपस्थित सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्ता द्वारा रैयती भूमि क्रय किया गया है, परन्तु इसके अतिरिक्त उसी खेसरा के राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए अर्जित भूमि को भी अतिक्रमित कर लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपीलार्थी नाग नारायण सिंह के द्वारा क्रय किये गये 10 धुर से अधिक भूखण्ड पर अतिक्रमण करके पक्का मकान बनायागया है। इस प्रकार राष्ट्रीय उच्च पथ–83 के अर्जित भूमि के अंश पर अपीलार्थी का अतिक्रमण है। परन्तु, वास्तविक स्थिति नापी के उपरांत ही ज्ञात हो सकता है।

उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की उपस्थिति में राष्ट्रीय उच्च पथ–83 हेतु अर्जित भूखण्ड एवं सन्निहित सरकारी भूमि की विधिवत् नापी कर अतिक्रमित भूमि को चिन्हित लेगें तथा एक पक्ष के अन्दर लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत समुचित कार्रवाई करेंगे।

इसके साथ ही अपील आवेदन को निस्तारित करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।